न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—311/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/311

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
गणेशाराम पुत्र श्री रामा जी, जाति कलबी, निवासी—जोधावास, तहसील चितलवाना, जिला सांचौर(राज)		1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना, जिला सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, के आदेश दिनांक 18.09.2023

उपस्थिति :—

1. श्री परमानन्द शर्मा, श्री निखिल दवे, श्री मंयक जोशी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः— 23/10/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, के आदेश दिनांक 18.09.2023 व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि —

अपीलान्ट की खातेदारी आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 406 रकबा 6.04 हैक्टर ग्राम जोधावास में आई हुई है। जिसके समर्थन में दस्तावेज पेश किये जा रहे है।

दिनांक 23/08/2023 को पटवारी हल्का अणखोल द्वारा रेस्पोडेन्ट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें विषय के अन्तर्गत यह

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

23/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

कथन किया गया कि प्रचलित रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने हेतू प्रस्ताव पेश करने का हवाला देते हुये प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है।

पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23/08/2023 पेश किये जाने से पहले ही दिनांक 25/07/2023 को एक मौका रिर्पोट अपीलान्ट के खसरा नम्बर 406 मे से रास्ता चलने बाबत् तैयार की गई थी एवं उसके साथ ही एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया था परन्तु उक्त मौका रिर्पोट किस आदेश की पालना मे तैयार की गई है इसका कोई उल्लेख मौका फर्द मे नही किया गया है। जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23/08/2023 को मानते हुये एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25/08/2023 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10/08/2016 की पालना में रास्ता दर्ज किये जाने का भिजवाया गया था जिसे मानते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

जिस परिपत्र का हवाला देते हुये उक्त आदेश जैर अपील पारित किया गया था उस परिपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो रास्ते सार्वजनिक है एवं 12 महीने तक चलते. है तथा मौसम के अनुसार बदलते नही है एवं आमजन के लिये आने जाने हेतू उपलब्ध है उनका ही इन्द्राज उक्त परिपत्र के माध्यम से करवाया जायेगा। परन्तु उक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस खातेदार की भूमि मे से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित होगा उसे पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुये उक्त आदेश पारित किये जायेगा परन्तु उक्त आदेश में कही पर भी अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया गया है एवं आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 25/08/2023 को एक मात्र आधार मानते हुये आदेश जैर अपील पारित किया गया है परन्तु कानूनन अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये जाने पश्चात् ही उक्त आदेश पारित किया जाना चाहीये था जो नही किया गया है। जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

कानूनन यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमी है तो भी उसे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी प्रकार से बेदखल नही किया जाता परन्तु उक्त प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि होते हुये भी उसे सुनवाई का अवसर न देते हुये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

28/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

प्रार्थी के खातेदारी मे से किसी प्रकार का कोई रास्ता नही चल रहा है मौका फर्द दिनांक 25/07/2023 अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है एवं न ही उससे पूर्व अपीलान्ट को कोई मौका निरीक्षण की कोई सुचना दी गई है जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तमाम कार्यवाही बाला बाला की गई है। जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्ट को प्रार्थना पत्र दिनांक 23/08/2023 को प्रस्तुत किया गया है परन्तु पटवारी द्वारा मौका उक्त प्रार्थना पत्र से 1 माह पहले दिनांक 25/07/2023 को देखा जाना भी अपने आप में सदेह उत्पन्न करता है। जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट दिनांक 28/06/2024 को अपने बेरे पर खड़ा था तब उसे आकर पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि तुम्हारी खातेदारी में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित हो गया है एवं मौके पर अब हम रास्ता खुलवायेगे दिनांक 29/06/2024 व 30/06/2024 का अवकाश होने से अपीलान्ट दिनांक 01/07/2024 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गया एवं वहा से प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नकल हेतू आवेदन किया जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 01/07/2024 की नकल को प्राप्त हुई जिससे कानूनीया सलाह प्राप्त कर अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलान्ट को दिनांक 28/06/2024 से पहले आदेश जैर अपील का ज्ञान कभी नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय मे दिनाकं 12/07/2024 को अपील पेश कि थी जहा पर दिनाकं 15/07/2024 को अपील न्यायालय के क्षेत्राधीकार में न मानते हुए श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लौटाई गई थी जिस पर दिनाकं 24/07/2024 को श्रीमान के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कि थी पंरतु श्रीमान लम्बे समय तक अवकाश मे होने के कारण उक्त अपील आज रोज प्रस्तुत कि जा रही है पुर्व मे प्रस्तुत अपील असल उक्त अपील के साथ संलग्न कि जा रही है इन हांलात में अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की जानकारी होने एवं उसकी नकल मिलने से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतः अपील अपीलाण्टस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जैर अपील आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

6. प्रकरण में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई । रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही है। वकील अपीलाण्ट की बहस है कि यह कार्यवाही पूर्णतः मनमाने रू‍प से की गई है । एवं पक्षकारो को सुनवाई का भी अवसर नही दिया गया है । अतः आलौच्य आदेश निरस्त किया जाता है।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि पूर्व में उपखण्ड अधिकारी चितलवाना का आदेश दिनांक 18.9.2023 विधि सम्मत पारित

23/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

किया गया है। क्योकि मौके पर सुचारू रास्ता कायम होने की रिपोर्ट तहसीलदार चितलवाना ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2024 में पुष्टि की है। रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी चितलवाना ने मौका फर्द मौतबिरान करीब 30–40 की मौजूदगी में बनायी गयी है इस प्रकार यह कार्यवाही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की भावना के अनुरूप है। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना के आदेश दिनांक 18.9.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

23/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक ....23.10.24.......... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

23/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)